**महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी संधारण अभियान २०१२-१३ मधील अनुषंगिक खर्चासाठी राष्ट्रीय कृषी <u>विकास योजनेतून निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत.</u>**
**कामाचा कालावधी १५ ऑगस्ट ते ३१ ऑक्टोबर, २०१२.**

**महाराष्ट्र शासन**
**ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,**
शासन निर्णय क्र.मफुअं-२०१२/प्र.क्र.७६/जल-८
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादामा कामा रोड,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
**दिनांक : ९ ऑगस्ट २०१२.**

**संदर्भ :**

**शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक**

१.जलसं-२००२/प्र.क्र.५८१/जल-७, दि.२८ फेब्रुवारी, २००२.
२.जलसं-२०११/प्र.क्र.३७/जल-८, दि.२८ मार्च,२०१२.
३.शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र. २०/(४३/२०११) यांत्रिकी दिनांक २५ ऑगस्ट २०११
४.शासन निर्णय कृषी व पदुम विभाग क्र. राकृवि २०१२/प्र.क्र.३५(भाग१) /राकृवियो-कक्ष दिनांक ०७ मे, २०१२
५.कृषी व पदुम वि. अ.शा.पत्र क्र. राकृवि-२०१२/प्र.क्र.८४/राकृवियो-कक्ष, दिनांक २० जुलै २०१२.
६.कृषी आयुक्तालय यांचे पत्र क्र. मृदस/मफुजअ/आरकेव्हीवाय/१२-१३/१७८९/मृद-३/न.क्र. ९७/२०१२, दिनांक १७ जुलै २०१२

**प्रस्तावना :**

महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी संधारण अभियान राज्यात दि.१ मे,२००२ पासून सुरु करण्यात आले असून हे अभियान सन २०१२-१३ मध्ये सुरु ठेवण्यास वर नमूद दि.२८ मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील सद्याच्या टंचाई / दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सदर अभियान नव्या स्वरूपात अधिक परिणामकतेने राबविण्याची गरज भासू लागली आहे. जलसंधारणाच्या अल्पकालीन मुदतीत पूर्ण होणाऱ्या उपचार कामाद्वारे पावसाचा प्रत्येक थेंब ना थेंब साठविणे / जिरवण्यासाठी सदर अभियान उपयुक्त ठरणार आहे. सदर अभियान लोकसहभागातून राबविण्यात येत आहे. गाळ काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत यंत्रसामग्री काही प्रसंगी उपलब्ध होते तर काही प्रसंगी उपलब्ध होत नाही. यामुळे लोकसहभाग अधिक वाढविण्याच्या दृष्टीने अभियानाची प्रसिध्दी जाहिरातीद्वारे करणे तसेच यंत्र सामग्रीसाठी आकारण्यात येणा-या भाड्यासाठी निधीची आवश्यकता भासल्याने अभियान राबविण्यांस काही प्रमाणात मर्यादा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. <u>**सबब सदर अभियान लोकसहभागातून राबविण्याचे शासनाचे धोरण असुन लोकसहभाग हा योजनेचा आत्मा आहे. लोकसहभागातील पोकळी भरुन (Gap Filling) काढण्यासाठी शासन निधीची जोड दिली आहे**</u>.

राष्ट्रीय विकास परिषदेने पारित केलेल्या ठराव क्र.५३ नुसार अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत ४ टक्के कृषी विकासाचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. हे लक्षात घेऊन केंद्रिय कृषी मंत्रालयाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजना जाहीर केलेली आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या दिनांक २७ एप्रिल, २०१२ च्या बैठकीत मान्यता दिल्याप्रमाणे वर नमूद ०७ मे, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१२-१३ मध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी संधारण अभियानाच्या प्रचार व प्रसिध्दी, त्याचप्रमाणे संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक २८ मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयातील नमूद उपचार कांमासाठी आणि संदर्भ क्र ०३ येथील दिनांक २५ ऑगस्ट, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये गाळ काढण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून उपलब्ध होणा-या यंत्रसामग्रीच्या सवलतीच्या दरातील भाडे अदा करण्यासाठी असे एकूण रु. ४५००.०० लक्ष निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी संधारण अभियान २०१२-१३ मधील अनुषंगिक खर्चासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत कामाचा कालावधी १५ ऑगस्ट ते ३१ ऑक्टोबर, २०१२.**

**शासन निर्णय क्र. मफुअ-२०१२ /प्र. क्र. ७६ / जल -८ दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०१२.**

## परिशिष्ट "ब "

| अ. क्र. | जिल्हा | तालुक्यांची संख्या | भौगोलिक क्षेत्र चौ.कि.मी. | वितरीत करावयाचा निधी रु. (लाखात) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ठाणे | १५ | ९५५८ | ३० |
| २ | रायगड | १५ | ७१५२ | ३० |
| ३ | रत्नागिरी | ९ | ८२०८ | ३० |
| ४ | सिंधुदुर्ग | ८ | ५२०७ | ३० |
| ५ | नाशिक | १५ | १५५३० | ३० |
| ६ | धुळे | ४ | ८०६३ | ३० |
| ७ | नंदुरबार | ६ | ५०३४ | ३० |
| ८ | जळगांव | १५ | ११७६५ | ३० |
| ९ | अहमदनगर | १४ | १७०४८ | ३० |
| १० | पुणे | १४ | १५६४३ | ३० |
| ११ | सातारा | ११ | १०४८० | ३० |
| १२ | सांगली | ९ | ८५७२ | ३० |
| १३ | सोलापूर | ११ | १४८९५ | ३० |
| १४ | कोल्हापूर | १२ | ७६८५ | ३० |
| १५ | औरंगाबाद | ९ | १०१०७ | ३० |
| १६ | जालना | ८ | ७७१८ | ३० |
| १७ | परभणी | ९ | ६५१७ | ३० |
| १८ | हिंगोली | ५ | ४५२४ | ३० |
| १९ | बीड | ११ | १०६९३ | ३० |
| २० | नांदेड | १६ | १०५२८ | ३० |
| २१ | उस्मानाबाद | ८ | ७५६९ | ३० |
| २२ | लातूर | १० | ७१५७ | ३० |
| २३ | बुलढाणा | १३ | ९६६१ | ३० |
| २४ | अकोला | ७ | ५४२९ | ३० |
| २५ | वाशिम | ६ | ५१५३ | ३० |
| २६ | अमरावती | १४ | १२२१० | ३० |
| २७ | यवतमाळ | १६ | १३५८२ | ३० |
| २८ | वर्धा | ८ | ६३०९ | ३० |
| २९ | नागपूर | १४ | ९८०२ | ३० |
| ३० | भंडारा | ७ | ३८९५ | ३० |
| ३१ | गोंदिया | ८ | ५४२५ | ३० |
| ३२ | चंद्रपूर | १४ | ११४४३ | ३० |
| ३३ | गडचिरोली | १२ | १४४१२ | ३० |
|  | **एकूण महाराष्ट्र** | **३५३** | **३०६९७४** | **९९०** |

**शासन निर्णय :**

वर नमूद केल्याप्रमाणे दि.२८ मार्च,२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी संधारण अभियान सन २०१२-१३ मध्ये पुढे राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. या अभियानांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांमध्ये उपलब्ध जुन्या जलस्त्रोतांचे बळकटीकरण होणार असल्याने तसेच गाळ काढल्यामुळे जलस्त्रोतांच्या पाणी साठविण्याच्या क्षमतेत वाढ होणार आहे. परिणामी, कृषी उत्पन्नात वाढ होण्यास हे अभियान निश्चीत उपयुक्त ठरणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन या अभियानाच्या प्रचार व प्रसिध्दी तसेच जलस्त्रोतातील गाळ काढणे या बाबीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणाऱ्या यंत्रसामग्रीच्या भाडे आकारणी व इतर अनुषंगिक बाबींसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून रु.४५०० लक्ष निधी वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे.. सदर निधी आयुक्त (कृषी), पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात येत असून उपलब्ध होणाऱ्या निधीचे वाटप पुढीलप्रमाणे करण्यास शासन त्यांना प्राधिकृत करीत आहे.

**२. निधीचे वाटप :**

**अ) जलसंपदा विभागाकडून उपलब्ध होणाऱ्या शासकीय यंत्रसामग्रीचे भाडे अदा करणे व इतर अनुषंगिक बाबींसाठी :**

यासाठी रु.४०००.०० लाख निधीचे सर्व जिल्ह्यांना वाटप करण्यात येत असून ते वाटप या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या **परिशिष्ट "अ"**व **"ब"** मध्ये दर्शविण्यात आले आहे. दिनांक २७ जुलै २०१२ रोजी सरासरीच्या ५० टक्के पेक्षा कमी पाऊस असलेल्या तालुक्यांची यादी सोबतच्या **परिशिष्ट "अ"** मध्ये जोडली आहे. या तालुक्यांना प्रती तालुका रु. ४८.५४ लाख निधी वितरीत करण्यात यावा. **परिशिष्ट "ब"** मध्ये जिल्ह्यांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेला रु ९९०.०० लक्ष निधी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमध्ये आवश्यकते नुसार उपचार कामावर खर्च करावा.

दुष्काळी परस्थितीवर मात करण्यासाठी शासन स्तरावरून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांतर्गत सदर अभियानातून खालील उपचारीत कामे करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. सदर निधीच्या खर्चाच्या संदर्भात शासन निर्णयात नमूद उपचारांसाठी विस्तृत मार्गदर्शक सूचना आयुक्त (कृषी) यांनी तात्काळ निर्गमित कराव्यात आणि सदर उपचार कामे **दिनांक १५ ऑगस्ट ते ३१ ऑक्टोबर, २०१२** या कालावधीत करण्यात यावेत.

(अ) जल व मृदसंधारण कामाची दुरुस्ती.
(ब) कोल्हापूरी पध्दतीच्या बंधा-यांना दरवाजे बसवणे.
(क) मृदसंधारण व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांमधील गाळ काढणे.
(ड) वनराई व कच्चे बंधारे बांधणे.
(इ) खोल सलग समतल चर (Deep CCT).
(ई) विहिरींचे पुनर्भरण करणे.

**कार्यपध्दती :**

१) सदर अभियानातील जास्तीत जास्त कामे लोकसहभागातून पूर्ण करण्यात यावीत. लोकसहभाग कमी असल्यास अशा ठिकाणी शासकीय निधी खर्च करावा.

२.)जेसीबी व पोकलेन भाडे अदा करणे व इतर अनुषंगिक बाबींसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास (RKVY) योजनेतून हा निधी उपलब्ध होत आहे. या शिवाय संदर्भाधीन दि. २८ मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयातील परि.७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उपलब्ध होणारा निधीही या अभियानासाठी खर्च करावयाचा आहे.

३) अभियान यशस्वी होण्यासाठी / राबविण्यासाठी - गाळ काढण्यासाठी प्रथम जेसीबी पोकलेन किंवा तत्सम मशीनरी विनामूल्य मिळविण्याचा प्रयत्न करावा.

४) अशी विनामूल्य यंत्रसामग्री उपलब्ध झाल्यास त्या करिताचा डिझेल, वंगण आणि यंत्रसामग्रीच्या वाहतुकीचा वरील खर्च राष्ट्रीय कृषी विकास (RKVY) मधून उपलब्ध निधीतून करणे अनुज्ञेय राहील. यंत्र सामग्रीच्या वाहतुकी वरील खर्च हा यंत्रसामग्री आणण्याच्या ठिकाणापासून ते जलस्त्रोताचे ठिकाण व नंतर त्याचे मूळ ठिकाणा पर्यंत अनुज्ञेय राहील.

| दिनांक २७ जुलै,२०१२ रोजी सरासरीच्या ५० टक्के पेक्षा कमी पाऊस असलेल्या तालुक्यांची यादी | | | |
|---|---|---|---|
| अ.क्र. | जिल्हा | तालुके | वितरीत निधी (रू.लाखात) |
| ३५ | सातारा | खंडाळा | ४८.५४ |
| ३६ | | वाई | ४८.५४ |
| ३७ | सांगली | जत | ४८.५४ |
| ३८ | | कवठेमहांकाळ | ४८.५४ |
| ३९ | | पलुस | ४८.५४ |
| ४० | कोल्हापूर | हातकणंगले | ४८.५४ |
| ४१ | | गडहिंग्लज | ४८.५४ |
| ४२ | औरंगाबाद | गंगापूर | ४८.५४ |
| ४३ | | पैठण | ४८.५४ |
| ४४ | | कन्नड | ४८.५४ |
| ४५ | जालना | भोकरदन | ४८.५४ |
| ४६ | | अंबड | ४८.५४ |
| ४७ | | बदनांपूर | ४८.५४ |
| ४८ | | घनसावंगी | ४८.५४ |
| ४९ | | मंठा | ४८.५४ |
| ५० | बीड | आष्टी | ४८.५४ |
| ५१ | | गेवराई | ४८.५४ |
| ५२ | | केज | ४८.५४ |
| ५३ | | शिरूर कासार | ४८.५४ |
| ५४ | नांदेड | लोहा | ४९.०६ |
| ५५ | वर्धा | आष्टी | ४८.५४ |
| ५६ | | सेलू | ४८.५४ |
| ५७ | | देवळी | ४८.५४ |
| ५८ | नागपूर | रामटेक | ४८.५४ |
| ५९ | | नरखेड | ४८.५४ |
| ६० | गोंदिया | सालेकसा | ४८.५४ |
| ६१ | चंद्रपूर | चिमूर | ४८.५४ |
| ६२ | नंदुरबार | धडगांव अक्राणी | ४८.५४ |
| | | एकूण | ३०१०.०० |

५) वर नमूद केल्या प्रमाणे यंत्र सामग्री विनामूल्य उपलब्ध न झाल्यास जलसंपदा विभागाने निर्गमित केलेल्या दिनांक २५ ऑगस्ट, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये ५० टक्के सवलतीच्या दराने शासकीय यंत्रसामग्री उपलब्ध करुन वितरीत निधी भाडयापोटी खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

**ब) प्रसिध्दी :**

**१)** अभियानाच्या जाहिरातीसाठी रु.५०० लक्ष इतका निधी राखून ठेवण्यात यावा. त्यापैकी राज्यातील ३३ जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी रु. १.०० लक्ष याप्रमाणे ३५३ तालुक्यांसाठी रु. ३५३ लक्ष निधीचे वाटप जिल्हास्तरीय समितीस करण्यात यावे. तालुक्यांच्या प्रमाणात उपलब्ध झालेला निधी अभियानांतर्गत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समित्यांच्या अधिनस्त राहील. सदर निधी तालुका / उपविभागीय / जिल्हास्तरावर सरपंच मेळावे आयोजित करणे, अभियानाचे होर्डिंग व पोस्टर्स, तसेच जिल्हास्तरीय समिती निश्चित करेल त्याप्रमाणे प्रसिध्दीसाठी खर्च करण्यात यावेत. या प्रसिध्दीच्या माध्यमातुन कार्यक्रम अधिक लोकाभिमुख व्हावा.

**२)** उर्वरित रु. १४७ लक्ष निधी आयुक्त (कृषी) यांचेकडे राज्यस्तरीय प्रसिध्दीसाठी राखून ठेवण्यात यावा. तसेच राज्यस्तरावर राज्य योजनेच्या पाणलोट विकास चळवळ या योजनेसाठी सन २०१२-१३ या वर्षासाठी जाहिरात व प्रसिध्दी या बाबीसाठी अर्थसंकल्पित झालेला आणि या विभागाच्या दिनांक २८ मे २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला रु. १००.०० लक्ष निधीही राज्यस्तरीय प्रसिध्दीसाठी उपलब्ध होणार आहे.

**३)** राज्य पातळीवरील एकुण रु. २४७ लक्ष निधी अभियानाबाबत एस.टी.बसेस वरील जाहिराती, एस.टी.बस स्थानकांवर जिंगल्स, एस.टी.बस स्थानकांवरील आवारात होर्डिंगद्वारे आणि तसेच दूरदर्शन/आकाशवाणीच्या माध्यमातून जाहिराती व मोबाईल्सच्या माध्यमातून एस.एम.एस. द्वारे प्रसिध्दी यासाठी खर्च करण्यात यावा.

**३.** हा शासन निर्णय मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय समितीच्या दिनांक २७ एप्रिल, २०१२ रोजी झालेल्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

**४.** सदर शासन निर्णय शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक **२०१२०८०९१५३१५०१२०२** असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

सुनील चव्हाण

**( सुनील चव्हाण )**
**उप सचिव, महाराष्ट्र शासन**

**प्रति,**
मा.राज्यपाल यांचे सचिव,
मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव,
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,
मा.मंत्री (जलसंधारण), यांचे खाजगी सचिव
मा.राज्यमंत्री, (जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव
सर्व मा.मंत्री, राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,
प्रमुख मार्गदर्शक, महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण सल्लागार परिषद,
कार्याध्यक्ष, आदर्शगांव संकल्प व प्रकल्प समिती,
मुख्य सचिव यांचे सहसचिव,
सर्व अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालयीन विभाग,
प्रधान सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई
सर्व विभागीय आयुक्त,
आयुक्त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,

**महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भूमी संधारण अभियान २०१२-१३ मधील अनुषंगिक खर्चासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून निधी उपलब्ध करून देणेबाबत कामाचा कालावधी १५ ऑगस्ट ते ३१ ऑक्टोबर, २०१२**

**शासन निर्णय क्र.मफुअ-२०१२/प्र.क्र.७६/जल-८, दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१२.**

**परिशिष्ट "अ"**

| दिनांक २७ जुलै,२०१२ रोजी सरासरीच्या ५० टक्के पेक्षा कमी पाऊस असलेल्या तालुक्यांची यादी | | | |
|---|---|---|---|
| अ.क्र. | जिल्हा | तालुके | वितरीत निधी (रू.लाखात) |
| १ | ठाणे | वाडा | ४८.५४ |
| २ | नाशिक | नाशिक | ४८.५४ |
| ३ | | पेठ | ४८.५४ |
| ४ | | सिन्नर | ४८.५४ |
| ५ | | देवळा | ४८.५४ |
| ६ | | निफाड | ४८.५४ |
| ७ | जळगांव | जळगांव | ४८.५४ |
| ८ | | भुसावळ | ४८.५४ |
| ९ | | चाळीसगांव | ४८.५४ |
| १० | | जामनेर | ४८.५४ |
| ११ | | बोदवड | ४८.५४ |
| १२ | | रावेर | ४८.५४ |
| १३ | | एदलाबाद | ४८.५४ |
| १४ | अहमदनगर | पारनेर | ४८.५४ |
| १५ | | श्रीगोंदा | ४८.५४ |
| १६ | | कर्जत | ४८.५४ |
| १७ | | पाथर्डी | ४८.५४ |
| १८ | | शेवगांव | ४८.५४ |
| १९ | पुणे | हवेली | ४८.५४ |
| २० | | मुळशी | ४८.५४ |
| २१ | | भोर | ४८.५४ |
| २२ | | मावळ | ४८.५४ |
| २३ | | खेड | ४८.५४ |
| २४ | | शिरूर | ४८.५४ |
| २५ | | दौंड | ४८.५४ |
| २६ | | सासवड | ४८.५४ |
| २७ | | जुन्नर | ४८.५४ |
| २८ | सोलापूर | करमाळा | ४८.५४ |
| २९ | | सांगोला | ४८.५४ |
| ३० | सातारा | सातारा | ४८.५४ |
| ३१ | | जावली | ४८.५४ |
| ३२ | | कोरेगांव | ४८.५४ |
| ३३ | | खटाव | ४८.५४ |
| ३४ | | माण | ४८.५४ |

सर्व संचालक, कृषी आयुक्तालय, पुणे,
मुख्य अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर), पुणे
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व संचालक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे,
सर्व जिल्हाधिकारी,
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,
सर्व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,
सर्व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,
सर्व उपायुक्त (विकास), विभागीय आयुक्त कार्यालय ( सर्व),
सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक,
सर्व अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे,/ सर्व अधीक्षक अभियंता, लघु पाटबंधारे, (स्थानिक स्तर)
संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई,
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मुंबई (प्रसिध्दीकरीता ),
सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी,
सर्व मुख्य वन संरक्षक व उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण वृत्ते,
सर्व सहसंचालक, सामाजिक वनीकरण वृत्ते,
सर्व मुख्य वनसंरक्षक,/ सर्व उपवनसंरक्षक,
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा,
महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण सल्लागार परिषदेचे सर्व अशासकीय सदस्य,
महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ व २, मुंबई व नागपूर,
महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १ व २, मुंबई व नागपूर,
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई,
सर्व मंत्रालयीन विभाग,
कार्यासन अधिकारी (राकृवियो कक्ष), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई
संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.
सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, (जलसंधारण उप विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२.
जल-८ (निवड नस्ती), ग्रा.वि.व ज.सं.विभाग, मंत्रालय, मुंबई